

एस.एस. जैन सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामबाग सर्किल, जयपुर (राज.)

निविदा प्रारूप

- (1) विषय के लिए निविदा।
(जिन वस्तुओं के लिए निविदा प्रस्तुत की जाती है, उनके नाम लिखिये)
- (2) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूरा पता मय टेलिफोन, मोबाइल व ईमेल एड्रेस.....
.....
.....
- (3) सन्दर्भ
- (4) निविदा शुल्क की रकम रुपये जमा करा दी गई है,
देखिये क्रासड बैंक ड्राफ्ट सं..... दिनांक
- (5) निविदा सूचना सं. दिनांक
जो के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
- (6) निविदा के साथ संलग्न मूल्य निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर दरें अंकित कर दी हैं (जो निविदा के साथ संलग्न है)
- (7) पक्का आदेश (फर्म आर्डर) प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर सामान सुपुर्द कर दिया जायेगा।
- (8) ऊपर बताई गई दरें / / 2026 तक वैध हैं। इससे आगे अवधि पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकती है।
- (9) धरोहर राशि प्राचार्य एस.एस. जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय, जयपुर के पक्ष में
..... रु. की ड्राफ्ट सं बैंक का नाम दिनांक
..... संलग्न हैं।

सम्बन्धित सर्किल के बिक्रीकर/वैट अधिकारी, बिक्री/वैट कर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, बिक्री/वैट कर शोधन प्रमाण-पत्र इसके साथ प्रस्तुत है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय सील

—:: खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा की शर्तें ::—

टिप्पणी:— निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएँ:— निविदाएँ वस्तुओं के केवल अधिकृत एजेंट द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (अ) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
(ब) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. बिक्री कर पंजीयन एवं चुकती प्रमाण पत्र:— कोई भी अधिकृत एजेंट उस राज्य में प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
5. निविदाओं में आयकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं मानते हुए अन्तिम रूप दिया जायेगा (वित्त विभाग का परिपत्र संख्या प.1(2)वित्त/साविलोनि/2002, दिनांक 28.5.03)।
6. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटियां एवं /उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। एवं माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी।
9. विधिमान्यता:— निविदायें उनके खोले जाने की तारीख से 120 दिन तक की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
10. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिये यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों आकार, मेक रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
12. विनिर्देश:—(अ) प्रदाय की गयी सभी वस्तुयें निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहां उन मर्दों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
(ब) तारा चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या.....पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलों में जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएँ विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिये बाध्यकारी होगा।
(स) वारंटी/गारंटी खण्ड:— निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनों से.....दिनों/माहों की अवधि तक तथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि..... दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे।

निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके नुकसानी के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(द) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी उक्त खण्ड (स) में उल्लेखित किये गये अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों उक्त उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जायें कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हों।

(ई) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसे निबंधनों शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जायें, वार्षिक रखरखाव (मेन्टीनेंस) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिये आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरण का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिये भी, चाहे वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिये उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

13. निरीक्षण:— (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाये, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कार्यकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहां निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिये सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नये प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14. नमूने:— अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसे नमूने यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाये तो कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिये रसीद दी जायेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए।

15. प्रत्येक नमूने पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जायेंगे।

16. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट, हानि के लिये महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। महाविद्यालय किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें महाविद्यालय द्वारा समपहृत कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिये कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

17. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इकठ्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट या हानि के लिये महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिये जायेंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिये भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18. रद्द करना:— (अ) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ब) तथापि, यदि महाविद्यालय कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

20. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मद्देनजर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

21. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा, ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुदर्गी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये

जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

22. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
23. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
24. (अ) सुपुदगी अवधि निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएँ, विभाग द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने की तारीख से तीस दिन की अवधि की भीतर सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा।
(ब) मात्रा की सीमा:— आदेश को फिर से देना:— यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिये ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अंतिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह के अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा करने में असमर्थ रहता है, तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिये स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।
(स) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
25. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी):—(क) निविदा के साथ 10000/— रुपये बयाना राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जायेगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ब) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट महाविद्यालय में जमा करायी जायेगी।
(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय:— असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् यथासमय शीघ्र लौटायी जायेगी।
(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।
26. बयाना राशि का समपहरण:— बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा:—
(अ) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु, निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
(ब) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार को, यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।
(स) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
(द) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मर्दों का प्रदाय करने में असफल रहता है।
27. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:—
(अ) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिये निविदाएँ की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक को जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।
(ब) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।
(स) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
(द) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:—
(1) बैंक ड्राफ्ट
(2) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
2. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप में निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :—
(क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
3. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा महाविद्यालय को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निशुल्क दी जायेगी।

28. (अ) समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से भाड़े के अतिरिक्त उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।
(ब) आर.आर.केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
(स) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
29. बीमा:- (अ) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़ मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे-युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं, तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(ब) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय साधारण बीमा निगम या इसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।
30. (अ) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
(ब) विवादास्पद मर्दों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
(स) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।
31. (अ) निविदा प्रारूप में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को सविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
(ब) परिसमापित नुकसानी:- परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-
(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये 2.5 प्रतिशत
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से 5 प्रतिशत
अनधिक के लिये
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से 7.5 प्रतिशत
अनधिक अवधि के लिये
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये 10 प्रतिशत
(ङ) विहित अवधि से अधिक के विलम्ब पर परिसमापित नुकसान की प्रतिशता का निर्धारण प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।
(4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
32. वसूलियाँ:- परिसमापित नुकसानी कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
33. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।
34. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
35. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिस वस्तु के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक प्रदायकर्ता से अधिक सामान की मर्दों को विवरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
36. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-
(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशीप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
(द) कम्पनी के मामलों में कम्पनी के पंजीयक के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

37. समस्त विधिक कार्यवाहियों, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (महाविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुबन्ध का प्रारूप

यह अनुबंध आज दिनांक की एक ओर (जिसे इसमें इसके पश्चात अनुमोदित प्रदायक कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ के अनुकूल हो, उसके वारिस उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समझे जायेंगे) और दूसरी ओर एस.एस. जैन सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयपुर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "संस्था कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तों/किती सम्मिलित समझे जायेंगे) के बीच सम्पन्न किया गया है।

1. टिप्पणी : पर्याप्त कारण उल्लेख करते हुए क्रय अधिकारी पूर्व आदेश से सप्लाई आदेश को बढ़ा सकता है।
2. चूँकि अनुमोदित प्रदायक के को उनके मुख्य कार्यालय में इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित समस्त वस्तुयें, इसके साथ संलग्न संविदा के पत्र तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ..... में उल्लेखित दरों से प्रदाय करने के लिए संस्था के साथ सहमत हो गया है।
3. और चूँकि अनुमोदित प्रदाया ने रु. की रकम
 1. क्रॉसड बैंक ड्राफ्ट सं..... दिनांक में उपर्युक्त करार के यथावत पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा करा दी है।

नोट :- यदि क्रय 50,000/- से कम हो तो क्रय अधिकारी अपने विवेकानुसार प्रतिभूति जमा करने से छूट दे सकता है।

4. अब यह लेख निम्नांकित का साक्ष्य है :-

1. संस्था द्वारा के जरिये इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित दरों से किये जाने वाले संदायों के बदले में, अनुमोदित प्रदायक संलग्न अनुसूची में उल्लेखित उक्त वस्तुयें संविदा तथा निविदा की शर्तों एवं प्रतिबन्धों में बतलाई गई रीति से यथावत रूप से करेगा।
2. निविदा और संविदा की शर्तें, जो निविदा सूचना सं..... दिनांक के साथ संलग्न थी और इस करार के साथ संलग्न है, इस करार का अंश समझी जायेगी और इस करार को निष्पादित करने वाले पक्ष इनसे बाध्य होंगे।
- 3.(क) संस्था, एतद्वारा यह करार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायक उपर्युक्त रीति से उक्त वस्तुओं का यथावत प्रदाय कर देगा और उक्त शर्तों तथा प्रतिबन्धों को मानेगा और उनका पालन करेगा, तो संस्था एकाउन्ट पेयी चैक के जरिये अनुमोदित प्रदायक को उक्त प्रतिबन्धों में उल्लेखित रीति से तथा समय पर, प्रत्येक सामान के लिए देय रकम का संदाय करेगी या करवायेगी।

(ख) संदाय नीचे निदिष्ट तरीके से किया जावेगा

1.
2.
3.

4.

4. इस करार की ओर/या क्रयादेश की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर सुपुर्दगी आरम्भ तथा पूरी कर दी जावेगी।
5. यदि निविदाकार निविदा प्रारूप में विनिर्दिष्ट काल अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी न कर पाये तो क्रय अधिकारी अपने विवेकानुसार माल को सुपुर्दगी की अवधि/निविदाकार से करारानुसार परिनिर्धारित नुकसानी जो शास्ति नहीं होगी कि वसूली के अध्यक्षीन बढ़ा सकेगा यह वसूली सामान के मूल्य के प्रतिशत की राशि के बराबर निम्नानुसार तथा सम्पत्ति में व हुई नीचे बतलाई गई देरी के लिए होगी।
- (क) निर्धारित सुपुर्दगी का काल अवधि की $\frac{1}{4}$ काल अवधि की देरी के लिए $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत।
- (ख) $\frac{1}{4}$ से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की काल अवधि के $\frac{1}{2}$ से अनाधिक काल अवधि की देरी के लिए 5 प्रतिशत।
- (ग) $\frac{1}{2}$ से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की काल अवधि के $\frac{3}{4}$ से अनाधिक काल अवधि की देरी के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत।
- (घ) $\frac{3}{4}$ से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की काल अवधि के बराबर की काल अवधि से अनाधिक 10 प्रतिशत।
6. इस प्रकार के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस प्रकार के निर्वचन सम्बन्धी प्रश्न संस्था द्वारा विनिश्चित किये जावेंगे तथा संस्था का निश्चय अंतिम होगा जिसके साक्ष्य में इसके दोनो पक्षों में दिनांक को अपने हस्ताक्षर किये।

अनुमोदित प्रदाय के हस्ताक्षर

संस्था की ओर से हस्ताक्षर

साक्ष्य :-

साक्ष्य :-

नं.1.

नं.1.

नं.2

नं.2